

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-प्रार/बजट/बी-3/9719/2014-15/49-50 दिनांक

19 AUG 2014

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा -

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,
पंचायत समिति -

विषय:- शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत निजी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 की द्वितीय किस्त के पुनर्भरण हेतु बजट आवंटन।

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त वर्ष 2013-14 की द्वितीय किस्त के पुनर्भरण के लिए विभिन्न लेखागदों में राशि का आवंटन संलग्न प्रपत्र अनुसार किया जा रहा है।

क्र.स	बजट नद	योग आवंटित राशि सहस्र रूपयों में
1	2202-01-800-14-00-57(आयोजना व्यय)	6611.400
2	2202-01-789-04-00-57(आयोजना व्यय)	2462.001
	योग	9073.401

(नब्बे लाख तेहत्तर हजार चार सौ एक मात्र)

आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार एवं आवंटित राशि की सीमा में इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा-प्रार/आरटीई/युनिट कास्ट/18882/13-14/102 दिनांक 22.05.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से करते हुए किया जावे।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।
संलग्न-उपरोक्तानुसार कार्यालय वार सूची।

उप वित्तीय सलाहकार,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आकषक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं इक, राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. निजी सचिव, निजी अनुभाग(निदेशक महोदय)।
4. अनुभाग अधिकारी, शिक्षा का अधिकार अनुभाग।
5. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान/योजना अनुभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

उप वित्तीय सलाहकार

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा—प्रार/बजट/बी-3/आर.टी.ई./2014-15/49-50 दिनांक 19 AUG 2014

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में प्रविष्ट दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालको के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु द्वितीय किस्त के लिए राशि आवंटन

मांग संख्या-24 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 800-अन्य व्यय, (14)-शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को पुनर्भरण [00], 57-विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (आयोजना व्यय)


क्र.स.	आफिस आई.डी.	कार्यालय का नाम	आवंटित राशि सहस्र रुपयों में
1	1484	बी.ई.ई.ओ. शेरगढ़(जोधपुर)	1442.150
2	1513	जि.शि.अ. प्रारंभिक शिक्षा जयपुर	3771.600
3	1707	बी.ई.ई.ओ. विराटनगर(जयपुर)	1046.585
4	1606	बी.ई.ई.ओ. किशनगढ़बास(अलवर)	351.065
		योग	6611.400

(रुपये छ्यासठ लाख ग्यारह हजार चार सौ मात्र)

मांग संख्या-51 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना, (04)-शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुनर्भरण [00], 57-विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (आयोजना व्यय)

क्र.स.	आफिस आई.डी.	कार्यालय का नाम	आवंटित राशि सहस्र रुपयों में
1	1425	बी.ई.ई.ओ. नागौर	768.345
2	1430	बी.ई.ई.ओ. जायल (नागौर)	518.150
3	26052	बी.ई.ई.ओ. संगरिया(हनुमानगढ़)	1175.506
		योग	2462.001

(रुपये चौबीस लाख बासठ हजार एक मात्र)


 उप वित्तीय सलाहकार,
 प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
 बीकानेर